Certificate of Registration of Trust

Certified that shri Ram swaroop singh smrak shikshan sansthan situated village shakras pargana chaumela tehsil baheri district bareilly of trust deed office sub registrar baheri has been registerd book no.04 volume no 10of page 317/380serial no. 40 dated 19/08/2013.

Date- 04.3.2024

Sub Registrar

Baheri bareilly

उप–निबन्धक
बहेड़ी (बरेली)

प्रारूप प्रकार कार्यालय उपनिबन्धक बहेडी, बरेली

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

दस्तावेज नं. 40/IV/2013 पृष्ठ

खण्ड नं ....

लेखपत्र का प्रकार (बैनामा/इ.नामा/तोसीहनामा/मु. नामा/अन्य) .... दान डीड

विक्रीत सम्पत्ति के सेगमेन्ट का नाम /पेज नं० /क्रमांक /कालॉम ....

1. भूमि का प्रकार (कृषि भूमि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य) ....
2. तहसील/परगना .... नेट लिस्ट की पृष्ठ संख्या .... क्रमांक ....
3. मोहल्ला/ग्राम .... कम्प्यूटर कोड ....
4. सम्पत्ति का विवरण 11.000/-
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर) .... ×
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल ....
7. सम्पत्ति की स्थिति (स्थित राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग का नाम/लिंक मार्ग) ×
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर आदि) .... ×
9. सम्पत्ति का प्रकार प्लाट/फ्लैट/मकान/दुकान/कृषि) ....
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) .... ×
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल ....
12. स्थिति - फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य .... × .... निर्माण/आर०सी०सी०/आर०बी०सी०/टीनशेड ....
13. पेड़ों का मूल्यांकन .... ×
14. बोरिंग/कुँआ/अन्य ....
15. निर्मित क्षेत्रफल .... ×
16. निर्माण का वर्ष .... ×
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- हाँ/नहीं .... —
18. प्रतिफल की राशि .... बाजारी मूल्य 11.000/-
19. चौहद्दी पूरब .... पश्चिम ....
उत्तर .... दक्षिण ....

4
81

प्रथम पक्ष की संख्या (..........) द्वितीय पक्ष की संख्या (..........)

विक्रेता का विवरण

1. नाम ....
पिता/पति का नाम ....
स्थायी पता ....
अस्थायी पता ....
व्यवसाय (व्यापार/नौकरी/अन्य) ....

2. नाम ....
पिता/पति का नाम ....
स्थायी पता ....
अस्थायी पता ....
व्यवसाय (व्यापार/नौकरी/अन्य) ....

क्रेता का विवरण

1. नाम ....
पिता/पति का नाम ....
स्थायी पता ....
अस्थायी पता ....
व्यवसाय (व्यापार/नौकरी/अन्य) ....

2. नाम ....
पिता/पति का नाम ....
स्थायी पता ....
अस्थायी पता ....
व्यवसाय (व्यापार/नौकरी/अन्य) ....

सुरेन्द्र सिंह रनदीप सिंह Priyanka Ravindra Singh

40
IV/2013

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 248278

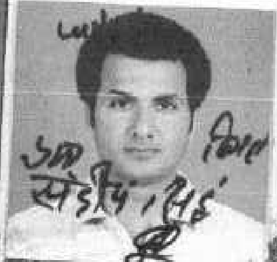

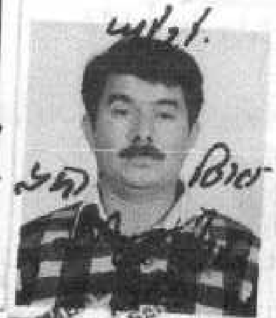

ट्रस्ट डीड

यह न्यास घोषणा अभिलेख आज दिनांक .... 2013 को तहसील बहेड़ी जिला बरेली में निष्पादित किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली (जिसे आगे न्यास अवस्थापक कहा गया) तथा जो न्यास का प्रथम पक्षकार है एवं जिसका अभिप्राय न्यास अवस्थापक के विधिक वारिसान, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, अभिकर्ता तथा विधिक शक्ति सम्पन्न मुख्त्यार से, जैसा प्रकारण हो, माना जायेगा।

तथा

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
2. सन्दीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवाससी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
3. प्रियंका चौधरी पत्नी सन्दीप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
4. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra singh

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193031

5. जयन्ती देवी पत्नी बलवीर सिंह निवासी ग्राम शरीफनगर तहसील बहेड़ी जिला बरेली। (जिन्हें सामूहिक रूप से 'न्यासी' कहा गया है तथा जिसका अभिप्राय, जब तक कोई प्रतिकूल अर्थ न लगाया जाये, न्यासियों से उत्तराधिकारियों और/अथवा ऐसे व्यक्ति से जिसे न्यासी नियुक्त किया गया हो, माना जायेगा) इस न्यास अभिलेख के अन्य पक्षकार माना जायेगा।

(न्यास अवस्थापक तथा न्यासियों को सामूहिक रूप से सभी पक्षकार तथा व्यक्तिगत रूप से पक्षकार कहा जायेगा।

यह कि

(अ) मुख्य न्यास अवस्थापक द्वारा रू0 **11,000** का अंशदान न्यास का निकाय कोष (Corprs fund) बनाने के लिये दिया गया है तथा इस कोष को न्यासियों को सौप दिया गया है। इस कोष के अतिरिक्त न्यास के उद्देश्यों की अभिवृद्धि हेतु न्यासियों को प्राभूत/दान प्राप्त करने का अधिकार होगा।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh जैमन्ती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193001

(ब) न्यास के सभी न्यासधारियों द्वारा न्यास का प्रथम न्यासी/पक्षकार होना स्वीकार किया गया है जिसके साक्ष्य स्वरूप न्यास अभिलेख पर सभी न्यासधारियों ने हस्ताक्षर किया है तथा

(स) सभी न्यासधारियों द्वारा यह घोषणा की जाती है कि न्यास कोष (जैसा कि इस अभिलेख के उपखण्ड–4 में परिभाषित किया गया है) इस अभिलेख में आगे दिये गये प्राविधानों एवं शक्तियों के अधीन न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा सभी न्यासधारियों द्वारा न्यास अभिलेख में आगे नियम एवं प्राविधानों के अधीन न्यास कोष को स्वीकार किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। यह न्यास अभिलेख अधोलिखित प्राविधानों एवं साक्ष्य सहित निम्नवत् निष्पादित किया जाता है।

1. **न्यास का नाम एवं कार्यालय :** न्यास का नाम **श्री राम स्वरूप सिंह स्मारक शिक्षण संस्थान शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली** होगा तथा इसका मुख्य कार्यालय **ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली** अथवा ऐसा कोई अन्य स्थान पर जिसे अभिलेख के उपखण्ड–5–1 में वर्णित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज समय–समय पर निश्चित करें, बनाया

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Kumari Singh जैमन्ती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193029

जायेगा। न्यास अपना प्रशासनिक कार्यालय भी ऐसे किसी स्थान पर जिसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज समय-समय पर निश्चित करें, स्थापित कर सकते हैं।

2. **प्रथम न्यासधारी** : निम्नलिखित व्यक्तियों ने न्यास अभिलेख पर साक्ष्य हस्ताक्षर करने हेतु न्यास अभिलेख को निष्पादित करते हुये न्यास के प्रथम न्यासी/पक्षकार होना स्वीकार किया है।

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
2. सन्दीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवाससी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
3. प्रियंका चौधरी पत्नी सन्दीप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
4. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
5. जयन्ती देवी पत्नी बलवीर सिंह निवासी ग्राम शरीफनगर तहसील बहेड़ी जिला बरेली।

3. **न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य :**

3.1 न्यास का मुख्य उद्देश्य निम्वत् होगा।

3.1.1 भारतीय प्रचलन के अनुरूप शिक्षा के प्रसार एवं विकास के लिये स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, विश्वविद्यालय, प्रयोगशालायें, शोध और शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभर्थ, स्थापित करना तथा मुस्लिम सम्प्रदाय के सन्दर्भ में विशेष रूप से जन-सामान्य में ज्ञान का प्रयास करना।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh जयन्ती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193003

3.1.2 जन सामान्य के लाभ के लिये अस्पताल, मेडिकल स्कूल, पैरामेडिकल / मेडिकल, कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, औषद्यालयों, महिलाओं और बच्चों के लिये कल्याणकारी केन्द्रों की स्थापना करना।

3.1.3 इन्जीनियरिंग, तकनीकी, प्रबन्धन, विधि, अध्यापक प्रशिक्षण तथा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु कॉलेजों की स्थापना, विकास एवं सम्पोषित करना।

3.1.4 चलचित्र, मीडिया, विज्ञापन एवं ऑडियो–वीजुअल उपकरणों के माध्यम से जन–सामान्य को प्रशिक्षित करना तथा मुस्लिम सम्प्रदाय के सन्दर्भ में विशेष रूप से शिक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करना।

3.1.5 जाति, धर्म, वर्ण, रंग एवं लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के छात्र एवं छात्राओं को पठन–पाठन हेतु छात्रवृत्ति, वजीफा और अन्य सुविधायें जैसे पुस्तकें, शुल्कप्रतिपूर्ति, प्रोत्साहन एवं पदक इत्यादि प्रदान करना।

3.1.6 विज्ञान, साहित्य, कला कौशल, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, संगीत, ड्रामा और ललति कला के प्रोत्साहन हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना एवं वित्तपोषित करना तथा एक ऐसी शक्तिशाली इकाई का निर्माण करना जहां पर प्रशिक्षित बच्चों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिये मन्च प्राप्त हो सके।

3.1.7 विकलांगों एवं अनाथाश्रमों की स्थापना, वित्तीय पोषण और रख–रखाव के लिये मदद करना एवं निर्धनों, जरूरतमन्दों और असहाय व्यक्तियों, अनाथों, विधवाओं और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करना।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Rawindra Singh जैसमन्तो देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193005

3.1.15 इन्जीनियरिंग, तकनीकी, प्रबन्धन, चिकित्सा विज्ञान तथा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर संचालन के लिये संस्थानों को नियन्त्रण में लेना।

3.1.16 व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, चिकित्सीय शोध, केन्द्र, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय तथा बोर्डिंग हाउस खोलना, स्थापित करना, शिलान्यास करना, उन्नत करना, संचालन करना एवं रख–रखाव के लिये आर्थिक सहायता देना या उनके संचालन, स्थापना, रख–रखाव इत्यादि के लिये वित्तीय सहायता देना। इस न्यास से सम्बद्ध संस्थाओं के छात्रों के लिये बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग स्कूल तथा आवासीय भवनों की स्थापना, रख–रखाव तथा संचालन करना।

3.1.17 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सोसाइटी, फाउन्डेशन, या व्यक्ति अथवा अन्य विधिक अस्तित्व युक्त निकाय/संस्था से अनुबन्ध करना।

3.1.18(क) न्यासधारियों की सहमति एवं निश्चय अनुसार न्याय कोष की आय के अनुरूप, न्यास कोष से भारत अथवा विदेश में इन्जीनियरिंग, तकनीकी, प्रबन्धन, चिकित्सा और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में तथा शोध कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्य में संलग्न एवं अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति, शुल्कप्रतिपूर्ति, पारितोषक के रूप में अनुदान/भुगतान दिया जाना।

(ख) इस न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं से सम्बन्धित छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक एवं चरित्रिक विकास के लिये स्वस्थ परम्परायें विकसित करना जिससे छात्र सभ्य नागरिक बन सकें।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Rowmano Singh जैसा ज्योति

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193004

3.1.8 विकलांगों तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र इत्यादि की सहायता हेतु संस्थान की स्थापना करना।

3.1.9 ग्रामीण समुदाय को स्वच्छता अभियान द्वारा बीमारियों से बचाव तथा शुद्ध पेयजल व्यवस्था के प्रति प्रशिक्षित करना तथा प्रबन्ध करना।

3.1.10 भारत के किसी भी भाग में आपदा एवं बीमारियों के समय सहायता एवं पुनर्वास कार्य करना तथा बाढ़, भूकम्प, आग, तूफान, सूखा, अकाल, युद्ध, प्राणघातक बीमारियों अथवा किसी प्रकार की अन्य आपदा के समय मानवीय वेदना तथा हानि को कम करने हेतु वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सहायता का प्रबन्धन करना।

3.1.11 जरूरतमन्द व्यक्तियों को आवश्यक भवन निर्माण तथा भवनों की मरम्मत कराने के लिये मदद करना।

3.1.12 आपदाओं से व्यथित व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र एवं उपचार हेतु वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सहायता करना।

3.1.13 आम जनता को लाभ के लिये तथा भारत में ऐतिहासिक भवनों की भव्यता बनाये रखने एवं रख-रखाव के लिये अभिलेखों की प्रतिरक्षा करना।

3.1.14 भारत में छोटे-छोटे गाँवों में जीवनोपयोगी मूल भूत सुविधाओं की रूपरेखा बनाना तथा विकास एवं निर्माण कार्य कराना।

सुरेन्द्रसिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindrasingh [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193006

(ग) विद्यार्थियों को अच्छा, स्वस्थ तथा उन्नतशील नागरिक बनाने हेतु शिक्षित तथा प्रशिक्षित करना ताकि वे जीवन में स्वावलम्बी बन कर अपना जीवन आदरपूर्वक बेहतर ढंग से व्यतीत करें।

(घ) विद्यार्थियों और शिक्षकों में शोध कार्य की प्रवृत्ति की वृद्धि, विकास तथा प्रोत्साहित करना तथा इन्जीनियरिंग, तकनीकी, चिकित्सा विज्ञान, कला, प्रबन्धन एवं इसी सम्वर्ग के क्षेत्रों में संलग्न छात्र एवं छात्राओं और शिक्षकों को शोध कार्य हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करना।

3.1.19(क) इस न्यास के तहत स्थापित या स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के रख–रखाव एवं अन्य व्यय भार को वहन करने हेतु छात्र एवं छात्राओं से सन्तुलित एवं युक्तियुक्त शैक्षणिक शुल्क लिया जाना।

(ख) सामान्य जनता एवं समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिये इस धर्मार्थ न्यास की स्थापना की गयी है। इस न्यास का उद्‌देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है न्यास की आय तथा न्यास के द्वारा संचालित संस्थाओं की आय का उपयोग न्यास के उद्‌देश्यों और लक्ष्य की पूर्ति हेतु किया जायेगा तथा न्यासियों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जायेगा।

3.1.20 (क) किसी समय न्यास की समाप्ति या समापन की दशा में न्यास कोष तथा अन्य कोष एवं न्यास की समस्त चल, अचल सम्पत्ति या न्यास द्वारा संचालित या वित्तपोषित संस्थायें, न्यासधारियों के 3/4 बहुमत से चयनित किसी ऐसे धर्माथ ट्रस्ट को हस्तान्तरित की जायेगी जिसका लक्ष्य और उद्‌देश्य समान हो।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Rawmani Singh जेमन्तो देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193007

(ख) जन सामान्य के लाभ के लिये न्यासधारियों के निर्णय के अनुरूप उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कार्य संचालित किया जाना।

अन्य उद्देश्य

न्यास उपर्युक्त के उद्देश्यों की पूर्ति एवं/ अथवा अभिवृद्धि हेतु अन्य प्रासंगिक एवं पूरक उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

(अ) जन सामान्य के लाभार्थ सामाजिक कल्याणकारी कार्य /या क्रियाकलाप तथा सामुदायिक केन्द्र, आडिटोरियम, खेल मैदानें, स्टेडियम खोलना, स्थापित करना, अधिग्रहीत करना, उन्नत करना, संचालित करना, रख-रखाव करना, वित्तीय सहायता तथा/अथवा इनकी स्थापना, रख-रखाव एवं संचालन के लिये आर्थिक एवं अन्य प्रकार से सहायता देना।

(ब) इन्जीनियरिंग, तकनीकी, चिकतत्सा शिक्षा, प्रबन्धन एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले छात्रों का भत्ता व्यय, भोजन तथा बोर्डिंग का व्यय भार वहन करना।

(स) जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर आलोचनात्मक/समालोचनात्मक विश्लेषण हेतु सेमीनार, सिम्पोजिया तथा इसी प्रकार के अन्य बौद्धिक समारोह का आयोजन करना एवं समकालीन विचारकों, दार्शनिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों तथा अर्थशास्त्रीयों के विचारों का प्रचार-प्रसार करना।

(द) चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा के प्रसार हेतु पैम्पलेट, पीरियाडिकल्स एवं पोस्टर आदि प्रकाशित कराना।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193008

(क) समाज के आर्थिक दृष्टि से निर्बल एवं दलित वर्ग के उत्थान हेतु कार्य करना।

(ख) समाज के जरूरतमन्द व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा, भोजन, दूध, वस्त्र बांटना तथा अन्य प्रकार की सहायता करना।

3.1.18 (अ) चिकित्सा शिविर जैसे सामान्य चिकित्सीय परीक्षण, नेत्र शिविर तथा टीकाकरण, अन्य बीमारियों के परीक्षण हेतु शिविर लगाना।

(ब) एम्बुलेन्स सेवा प्रारम्भ करना तथा इसका रख–रखाव करना।

(स) अपंग एवं विकलांगों के लिये व्हील चेयर, प्राकृतिक अंग इत्यादि प्रदान करना जिससे ऐसे व्यक्तियों को मौलिक रूप से भौतिक लाभ प्राप्त हो सके।

4. **न्यास कोष :**

4–1 न्यास की अवस्थापित धनराशि 11,000/– रू0

1–2 न्यास अभिलेख में दिये गये प्राविधानों के तहत न्यासधारी न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी भी व्यक्ति से न्यास कोष की अभिवृद्धि हेतु धनराशि, सिक्योरिटी, अंशदान, चन्दा, दान था नगद या चल/अचल सम्पत्ति के रूप में कोष की वृद्धि करेंगे और भारत सरकार से न्यास के पंजीकरण हेतु समयान्तर्गत सभी आवश्यक कार्यवही पूर्ण करेंगे। न्यास को विदेशों से दान प्राप्त करने के सम्बंध में Foreign Contribution (Regulation) Act 1976 और इस निमित्त समय–समय पर बनाये गये नियमोंके अन्तर्गत पंजीकरण कराना होगा।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh जैमन्ती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193009

1–3 न्यास कोष की वर्तमान धनराशि तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली धनराशि, सिक्योरिटी, अंशदान, चन्दा, दान, अर्जित, सम्पत्ति, स्टॉक, चल, अचल सम्पत्ति जो समय–समय पर न्यास को प्राप्त हुयी हो तथा किराया एवं अन्य लाभ न्यास कोष की आय आदि (Trust Fund) न्यास कोष होगा।

इसके अतिरिक्त न्यासधारियों को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। ऋण से प्राप्त धनराशि न्यास कोष में समाहित की जा सकेगी तथा ऋण की अदायगी भी इसी कोष से की जायेगी।

5. **न्यासधारी**

5–1 संख्या

न्यासधारियों की संख्या 5 होगी। सभी न्यासधारी किसी समय "बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज" का गठन करेंगे। निम्नांकित न्यासधारी के पृथक "बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज" का गठन करेंगे।

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
2. सन्दीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवाससी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
3. प्रियंका चौधरी पत्नी सन्दीप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
4. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
5. जयन्ती देवी पत्नी बलवीर सिंह निवासी ग्राम शरीफनगर तहसील बहेड़ी जिला बरेली।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh जयन्ती देवी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193010

ऐसे किसी व्यक्ति की जिसे पश्चातवर्ती समय में न्यासी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित हो, अर्हतायें निम्नवत् होगी–

1. ऐसा व्यक्ति बालिग हो।
2. ऐसा व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का हो।
3. ऐसा व्यक्ति सम्पत्ति प्राप्त करने तथा उसका रख–रखाव करने हेतु सक्षम हो और संविदा या अनुबन्ध निष्पादन हेतु विधिक दृष्टि से अयोग्य घोषित न हो।

5–2 न्यासियों की कार्यालय अवधि

न्यास में उल्लेखित शर्तों के अधीन न्यास का अध्यक्ष तथा न्यासी की कार्यालय अवधि नियुक्ति तिथि से आजीवन रहेगी।

5–3 नवीन न्यासधारी की नियुक्तिः

न्यास के सुविधाजनक एवं उचित प्रबन्धन हेतु न्यास अभिलेख में अंकित अन्य प्राविधानों के तहत न्यास के अध्यक्ष एवं सचिव किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को न्यासधारी नामित कर सकते हैं किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि नामित किये जाने से पूर्व वे उस व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त करलें एवं यह भी कि नामित किये जाने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की कुल सदस्य संख्या का 3/4 बहुत से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावे तथा युक्ति–युक्त कारण के बिना किसी भी न्यासधारी द्वारा विरोध न किया जाये।

5–4 त्याग पत्रः

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ramdev Singh जमलोदेवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193012

अध्यक्ष/न्यासधारी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को त्याग पत्र भेजते हुऐ न्यास से पद त्यागने का अधिकार होगा। यदि अध्यक्ष अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देता है तो इस कार्यवाही के द्वारा उसका न्यासी के रूप में कार्य करने का अधिकार उस समय तक समाप्त नहीं माना जायेगा जब तक विशेष रूप से उल्लेख करते हुये न्यासी के पद से भी त्याग पत्र न दे।

त्याग पत्र देन वाले न्यासधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह त्याग पत्र देने के साथ न्यास कोष से सम्बन्धित आय–व्यय के अभिलेखों तथा ऐसे समस्त आय–व्यय अभिलेख जो उसके नाम हों या ऐसे न्यासधारी के नाम संयुक्त रूप से हों, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित व्यक्ति को हस्तान्तरित करे। त्याग पत्र न्यासधारियों की संख्या के 3/4 बहुमत से स्वीकार किया जायेगा।

5–5 पदच्युक्त किया जाना:

इस अभिलेख में दिये गये प्राविधानों के सिवाय, यदि कोई न्यासी जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, इस न्यास अभिलेख में अंकित अधिकांश प्राविधानों के अनुरूप कार्य नहीं करता है अथवा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करता है तो ऐसे न्यासी को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की इस निमित्त विशेष बैठक आहूत करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कुल संख्या के 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकेगा। यह भी कि पदच्युक्त किये जाने वाले न्यासधारी की उसे पद से पदच्युक्त किये जाने के सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार पदच्युक्त किये जाने वाले न्यासधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह न्यास कोष से, सम्बन्धित आय–व्यय के अभिलेखों तथा ऐसे समस्त आय–व्यय अभिलेखों को जो हटाये

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh मन्नो देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193013

जाने वाले न्यासधारी के नाम हों अथवा उसके नाम के संयुक्त रूप से हो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित व्यक्ति को निर्धारित की गयी समयावधि के अन्दर स्थानान्तरित करे।

5–6 रिक्तियाँ:

किसी न्यासधारी की मृत्यु हो जाने, अयोग्य हो जाने, त्यगपत्र देने, या पदच्युक्त किये जाने अथवा पद भार गृहण करने से इन्कार किये जाने की दशा में या न्यासी या अध्यक्ष के दिवालिया घोषित हो जाने की स्थिति में पद रिक्त माना जायेगा। ऐसी स्थिति में न्यास के शेष न्यासधारी रिक्ति को भरने हेतु किसी व्यक्ति को, जिसे वे उचित समझे, नामित कर सकते हैं किन्तु ऐसे नामित किये जाने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति पूर्व से प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा मनोनयन उस समय किया जाना आवश्यक होगा जब न्यासधारियों की संख्या न्यास अभिलेख में अंकित न्यूनतम न्यासधारियों की संख्या से कम हो।

इस प्रकार मनोनीत न्यासी को वे समस्त अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो पृथम न्यासी को प्राप्त थीं और ऐसे न्यासधारी नियुक्ति के उपरान्त इस न्यास के हस्ताक्षरकर्ता होंगे और न्यास के नियमों के अनुपालन के लिये बाध्य होंगे।

यदि अध्यक्ष पद रिक्त होता है तो इस अभिलेख के उपखण्ड 5–2 तथा 5–3 में दिये गये प्राविधानानुसार रिक्ति की पूर्ति की जायेगी।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ₹.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193014

5–7 वार्षिक बैठक:

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की वर्ष में कम से कम एक बार वार्षिक बैठक होगी। ऐसी वार्षिक बैठक आहूत की जायेगी और बैठक की कार्यवृत्ति का अभिलेख उसी प्रकार जैसा कि विशेष बैठक का अभिलेख रखा जाता है, रखा जायेगा। वार्षिक बैठक में विगत वर्ष की रिपोर्ट पढ़ी जायेगी तथा वित्तीय लेखा जोखा स्वीकृत किया जायेगा एवं आगामी वर्ष का बजट बनाया जायेगा तथा स्वीकृत किया जायेगा और तथा न्यास पदाधिकारियों का चुनाव, यदि आवश्यक हो, कराया जायेगा।

5–8 विशेष बैठक:

न्यास के सचिव द्वारा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कुल संख्या के 1/2 पदाधिकारियों द्वारा लिखित नोटिस भेजते हुये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की विशेष बैठक आहूत की जा सकेगी और नोटिस में अंकित तिथि, समय व स्थान पर बैठक की जायगी।

5–9 नोटिस:

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की वार्षिक बैठक अथवा विशेष बैठक के लिये प्रत्येक न्यासधारी को मीटिंग की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष से कम से कम 07 दिन पूर्व नोटिस भेजा जाना होगा। व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष से नोटिस दिये जाने की स्थिति में उस न्यासधारी द्वारा जिसे दूरभाष या व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया गया हो, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की पुष्टि पंजीकृत डाक द्वारा या बैठक की तिथि से 03 दिन पूर्व करना होगी।

5–10 नोटिस का परित्याग:

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की किसी भी बैठक की कार्यवृत्ति, चाहे बैठक नोटिस देते हुये या बिना नोटिस दिये बुलाई गयी हो तथा कहीं भी आयोजित की गयी हो, उसी प्रकार वैध

सुरेन्द्र सिंह संदीप सिंह Priyanka Raumano Singh मन्तीदेवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193015

मानी जयेगी जैसे कि बैठक नियमित नोटिस भेज कर आयोजित की गयी हो वशर्ते कि बैठक का कोरम पूर्ण हो तथा बैठक आयोजित करने हेतु सहमति दी गयी हो अथवा बैठक की कार्यवृत्ति का अनुमोदन किया गया हो।

नोटिस सम्प्रेषित न करने या बिना नोटिस के बैठक के आयोजन की सहमति देते समय बैठक के उद्देश्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा। नोटिस क त्याज्य तथा सहमति और बैठक के अनुमोदन की कार्याही बैठक की कार्यवृत्ति के साथ पत्रावली में रखी जायेगी।

ऐसे किसी न्यासधारी के सम्बन्ध में जिसने बैठक में भाग लेने से पूर्व य बैठक के समय नोटिस प्राप्त न होने के विषय में विरोध प्रकट न किया हो, यह माना जायेगा कि उसे नोटिस मिल गया था।

5–11 कोरमः

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बैठक में व्यक्तिगत रूप से कम से कम 03 न्यासधारियों की उपस्थिति होने पर कोरम पूर्ण माना जायेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही संचालित की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित न्यासधारी किसी एक न्यासी का इस बैठक के लिये अध्यक्ष के रूप में चुनाव करेंगे जो अध्यक्ष के रूप में बैठक की कार्यवाही संचालित करायेगा।

5–12 बैठक की कार्यवृत्तिः

न्यास अभिलेख में अंकित प्राविधानों के तहत बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बैठक में प्रस्ताव पारित कराने के लिये 1/2 बहुमत का नियम मान्य होगा, जब तक कि अन्यथा प्राविधान न किया गया हो।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh जै मलवेन्द्र देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193016

5–13 बैठक आहूत किये बिना की गयी कार्यवाही:

ऐसी कोई भी कार्यवाही जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा की जानी आवश्यक हो या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा अनुमत की गयी हो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कुल संख्या के 1/2 बहुमत की सामूहिक रूप से लिखित सहमति प्राप्त करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आहूत किये बिना की जा सकेगी। ऐसी लिखित सहमति बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्यवृत्ति में उल्लेखित की जायगी तथ बैठक के अभिलेख में रखी जायेगी। इस प्रकार से की गयी कार्यवाही का प्रभाव एवं शक्ति वही होगी जैसा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की नियमित बैठक में लिये गये निर्णय की शक्ति या प्रभाव होता।

5–14 आपात कालीन कार्यवाही:

यदि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सचिव की राय में ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसका त्वरित समाधान आवश्यक है तो ऐसी दशा में सचिव को यह अधिकार होगा कि वह त्वरित समाधान हेतु जो उचित प्रतीत हो कार्यवाही करे और कृत कार्यवाही से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की आगामी बैठक में अवगत कराये। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सचिव द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करे तथा कृत कार्यवाही का अनुमोदन करते हुये बैठक की कार्यवृत्ति में अंकित करेगी।

5–15 अभिलेख:

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh जैमन्ती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

रुपये दस रु.10

RUPEES TEN Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193017

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा एक सचिव नियुक्त किया जायेगा जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक की कार्यवृत्तियों, नोटिस, नोटिस के त्यागने से सम्बन्धित अभिलेख एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के रख-रखाव के लिये एवं तत्सम्बन्धी कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठकों की कार्यवृत्तियाँ निरन्तर मिनिट-बुक में अंकित की जायेगी जो इस निमित्त सचिव के अनुरक्षण में रखी जायेगी।

6 न्यास का प्रबन्धनः

न्यास सम्बन्धी तथा न्यास के द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यों का प्रबन्धन एवं प्रशासन का दायित्व न्यास के अध्यक्ष और सचिव द्वारा संयुक्त रुप से अग्रलिखित विधि के अनुरूप निर्वहन किया जायेगा। न्यास तथा न्यास कोष के प्रबन्धन और संचालन हेतु न्यासधारियों के ऐसे समस्त कार्य अभिलेखों और प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होगी जो ऐसे कार्य, अभिलेखों और प्रकरणों के सम्बन्ध में किया जाना आवश्यक हो।

6-1 अध्यक्षः

न्यास का मुख्य अवस्थापक न्यास का पृथम अध्यक्ष और न्यास का प्रबन्धक होगा तथा उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष होगी। इसके पश्चात बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के न्यासधारियों के मध्य से ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कुल संख्या के 1/2 बहुमत से अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा। इससे पूर्व के प्राविधानों में किसी विरोधाभासी बात के होते हुये भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त होगा।

6-2 सचिवः

न्यास का एक सचिव एवं न्यास प्रबन्धक होगा जिसकी कार्य अवधि 05 वर्ष होगी। इसके पश्चात बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के न्यासधारियों के मध्य से ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कुल संख्या के 1/2 बहुमत से सचिव का चुनाव किया जायेगा। इसके पूर्व के प्राविधानों में किसी भी विरोधाभासी बात के होते हुये भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का प्रथम सचिव नियुक्त किया जायेगा।

सुरेन्द्र सिंह संदीप सिंह Priyanka Ravindra Singh मनोदेवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193018

6–3 कोषाध्यक्ष :

न्यास का एक कोषाध्यक्ष होगा जिसकी कार्य अवधि 05 वर्ष होगी। इसके पश्चात बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के न्यासधारियों के मध्य से ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कुल संख्या के 1/2 बहुमत से कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा। इसके पूर्व के प्राविधानों में किसी विरोधाभासी बात के होते हुये भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का प्रथम कोषाध्यक्ष नियुक्ति किया जायेगा।

7. <u>न्यासधारी के कर्तव्य और शक्तियां :</u>

न्यास की सम्पत्ति का प्रबन्धन और प्रशासन निम्नांकित प्रबन्ध समिति में निहित होगा:–

1. अध्यक्ष (1) सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
2. सचिव (1) सन्दीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवाससी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली (मैनेजर)।
3. कोषाध्यक्ष (1) प्रियंका चौधरी पत्नी सन्दीप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
4. न्यासधारी सदस्य रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
5. न्यासधारी सदस्य जयन्ती देवी पत्नी बलवीर सिंह निवासी ग्राम शरीफनगर तहसील बहेड़ी जिला बरेली।

<u>अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य:</u>

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh जयन्ती देवी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193019

1. **अध्यक्ष**

(i) न्यास की सभी बैठकों का संचालन करना।

(ii) न्यास की बैठक की तिथि का अनुमोदन करना।

(iii) न्यास के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा निलम्बन की कार्यवाही सचिव की सहमति प्राप्त करते हुये किया जाना।

(iv) सचिव की सहमति प्राप्त करते हुये न्यास के सदस्यों और कर्मचारियों का त्याग पत्र स्वीकार करना।

(v) न्यास के अन्य सदस्यों के साथ विचार–विमर्श करना।

2. **सचिव**

(i) न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की विगत बैठकों की कार्यवृत्ति पूर्ण करना तथा क्रियान्वन करना।

(ii) न्यास से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को सुरक्षित रखना।

(iii) न्यास की ओर से आवश्यक पत्राचार करना।

(iv) न्यास के सदस्यों और कर्मचारियों के त्याग पत्र स्वीकार किये जाने की संस्तुति करना।

(v) न्यास के सदस्यों/कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उन्नति तथा हटाये जाने की कार्यवाही अध्यक्ष की सहमति प्राप्त करते हुये करना।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravimana singh जैमन्तीदेवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193020

3. कोषाध्यक्ष:

(i) न्यास कोष से सम्बन्धित समस्त कार्यों का निष्पादन करना।

(ii) न्यास कोष से सम्बन्धित कैश बुक, बैलेन्स शीट आदि तैयार करना।

7–1 दान और अंशदान:

न्यासधारियों को अपनी शक्ति और विवेक का प्रयोग करते हुये ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जिसे वे उचित समझते हों दान, प्राभूत, उपहार या अंशदान नगद अथवा माल (जिंस) के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा चाहे ऐसा दान, प्राभूत, उपहार या अंशदान प्रचलित कानून के अधीन चल–अचल सम्पत्ति या नगद या अन्य किसी रूप में दिये गये हों।

7–2 पूँजी/लागत:

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ऐसे किसी भी कार्य के लिये जिसे आवश्यक तथा उचित समझा जाये, न्यास कोष की पूँजी को व्यय करने तथा पूर्व में किये गये पूँजी निवेष को पुनः व्यय/निवेष करने का अधिकार होगा। न्यासधारियों को न्यास कोष की धनराशि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों के अनुरूप तथा आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय करने का अधिकार होगा।

ट्रस्टीज को यह भी अधिकार होगा कि आयकर अधिनियम 1961 यथा संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत न्यास कोष से किये गये व्यय के फलस्वरूप अर्जित सम्पतित के रूप/आकार

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 981B 197021

को दूसरे रूप/आकार में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं।

न्यास कोष से किये जाने वाले समस्त व्यय अथवा पूर्व में किये गये पूँजी निवेष का पुनः निवेष कम से कम दो न्यासधारियों के नाम संयुक्त रूप से जैसा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा निर्णय लिया गया हो, किया जायेगा या ऐसा व्यय/निवेष ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा। इस प्रकार से किये गये व्यय/निवेष ट्रस्ट के लाभ के लिये अथवा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्तिके लिये किये जायेंगे तथा किसी भी न्यासधारी का व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के व्यय अथवा न्यास की अर्जित सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा।

7–3 सम्पत्तिः

न्यास के पक्ष में अथवा न्यास के स्वामित्व में अध्यक्ष तथा सचिच को संयुक्त रूप से किसी भी चल–अचल समपत्ति का क्रय करने का, अधिग्रहण करने, लीज, बेचने तथास्थानान्तरण करने का अधिकार होगा तथा ऐसी सम्पत्ति/भवन के संरक्षण/रख रखाव के सम्बन्ध में इस प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा जिसे समय–समय पर उपयुक्त समझा जाये।

7–4 उन्नतीकरणः

न्यास के स्वामित्व में आने वाली अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ऐसी सम्पत्ति का नवीनीकरण, पुनर्निमार्ण, परिवर्तन, अनुकूलन, उन्नत, वृद्धि या विकास का अधिकार होगा तथा न्यास कोष से या न्यास की आय से जैसा उचित प्रतीत हो इस निमित्त धनराशि व्यय करने का अधिकार होगा।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Rawindra Singh जैमन्तीदेवी

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193022

7–5 ....:

इस न्यास अभिलेख के प्राविधानों को परिभाषित करने के सम्बन्ध में तथा ऐसे मामलों में जब कि न्यास के प्रबन्धन, प्रशासन एवं क्रियान्वन के सम्बन्ध मं किसी कठिनाई, संशय या विवाद की स्थिति हो....................

7–6 संशोधनः

यदि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की राय में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों कि न्यास अभिलेख के किसी अंश को या सम्पूर्ण उद्देश्यों को संशोधन करना आवश्यक हो तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कुल संख्या के 1/2 बहुमत से न्यास अभिलेख को संशोधित करते हुये लिये गये निर्णय को सम्बन्धित अभिलेख में अंकित एवं हस्ताक्षरित करके प्रभावी बनाया जा सकता हैं। इस प्रकार से किये गये संशोधन को प्रभावी बनाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही की जायेंगी तथा यह भी कि यदि आवश्यक प्रतीत हो तो सम्बन्धित Directior of Income Tax (Exemption)/ उच्च न्यायालय या मुख्य सिविल न्यायालय या उस न्यायालय से जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न्यास स्थित हो, संशोधित अभिलेख का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

7–7 ऋणः

न्यास के लक्ष्य और उद्देश्य को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करने के लिये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज स्व–विवेकानुसार ऐसी शर्तों के आधीन जो उचित प्रतीत हो किसी भी ब्याज दर पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Raushan Singh मालती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193023

7–8 मध्यस्थता/समझौताः

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को किसी भी मुकदमें, कार्यवाही या अभियोजन को न्यायालय से बाहर तय करने या समझौता करने का अधिकार तथा अन्य विवादों को तय करने का अधिकार होगा इसके अतिरिक्त किसी भी कार्यवाही, विवाद या मध्यस्थता की माँग के सम्बंध में न्यास के दूरगामी हितों को दृष्टि में रखते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7–9 नियुक्तियाँ:

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बाहरी एजेन्सियों, व्यक्तियों और संगठनों या संस्थओं को नियुक्त करने, निलम्बित करने तथा सेवा समाप्ति का अधिकार होगा और न्यास के उददेश्यों की पूर्ति हेतु जो भी उचित और आवश्यक समझें वेतन, पारिश्रमिक या भत्ते देने का अधिकार होगा।

7–10 अन्य न्यासों को सम्मेलनः

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ऐसे अन्य न्यासों, संस्थानों, फाउन्डेशन तथा धार्मिक संस्था को जिनके उददेश्य और लक्ष्य न्यास के अनुरूप हों और जो आयकर अधिनियम यथा संशोधित की धारा 11 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के अधिकारी हों तथा धारा 80G के अन्तर्गत या किसी अधिनियम के अन्तर्गत मान्य हो, न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप सम्मलित करने का अधिकार होगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऐसे किसी भी उच्च संस्था, फाउन्डेशन, संगठन या एजेन्सी को जो भारत में अथवा भारत से बाहर हो, तथा जिसका उददेश्य और लक्ष्य न्यास के उददेश्य और लक्ष्य से अनुरूप हो न्यास के कार्य के लिये न्यास से सम्बद्ध कर सकती है उसे सहयोग कर सकती है तथा उस संस्था को सम्मलित कर सकती है।

सुरेन्द्र सिंह रनदीप सिंह Priyanka Rameshwar singh जैमन्ती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193024

7–11 नियमावली/प्राविधानः

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को कुल संख्या के 2/3 बहुमत से न्यास के समुचित प्रबन्धन हेतु ऐसे नियम/प्राविधान बनाने की शक्ति प्राप्त होगी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की राय में उचित और आवश्यक हो। और ट्रस्टीज की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से ऐसे नियमों/प्राविधानों में परिवर्तन/परिवर्धन तथा संशोधन करने का भी अधिकार होगा।

7–12 शक्ति स्थानान्तरणः

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की किसी विशेष योजना, परियोजना एवं कार्यवाही के प्रबन्धन के लिये एक या अधिक न्यासधारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी तथा इस प्रकार नियुक्त न्यासी या न्यासधारियों को उचित या युक्तियुक्त पारिश्रमिक जिसे वे उस योजना/परियोजना या कार्य के प्रति ठीक समझे, प्रदान करने की शक्ति होगी तथा ऐसे ट्रस्टीज को ऐसे कार्य एवं उत्तरदायित्व को जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की राय में उचित हों सौंप सकते हैं।

7–13 बैंकों में खाता खोलनाः

न्यास के अध्यक्ष एवं सचिव को न्यास के प्रशासन और प्रबन्धन और तत्सम्बन्धी कार्यवाही संचालित करने के लिये किसी एक या अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो उचित और आवश्यक प्रतीत हो, से युक्त रूप से खाता खोलने का अधिकार प्राप्त होगा।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Raghvendra Singh मालती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193025

7–14 विधिक एवं शासकीय निकाय:

न्यास के कार्यों का कुशलता पूर्वक तथा प्रभावी प्रबन्धन एवं कार्य संचालित करने के लिये अध्यक्ष एवं सचिव को आवश्यक कागजात या अभिलेख दाखिल करने, बैठक आहूत करने तथा ऐसे अन्य समस्त आवश्यक कार्य एवं कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त होगी। इसके अन्तर्गत समस्त सरकारी विभाग जैसे न्यायालय, रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया, आय कर विभाग आदि सम्मलित है तथा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को उल्लेखित दिनांक से निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत धार्मिक न्यास पंजीकरण के लिये आवश्यक तथा ऐसे सभी उपाय, आवश्यक कार्यवाही तथा जरूरी कदम उठाने होंगे जो आयकर अधिनियम की धारा 80G की मान्यता हेतु अनिवार्य हैं।

7–15 लागत और व्यय:

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किये गये समस्त कार्यों के सन्दर्भ में तथा न्यास के प्रबन्धन और प्रशासन के सम्बन्ध में किये गये सभी आकस्मिक तथा आवश्यक व्यय, लागत या अधिभार को न्यास कोष से भुगतान करने की शक्ति प्राप्त होगी।

7–16 अन्य प्राविधान:

(1) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज न्यास कोष के संचालन, और न्यास के स्वामित्व में आयी सम्पत्ति के रख रखाव के लिये वाध्य होंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यह सुनिश्चित करने के लिये कि न्यास कोष का न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप उपभोग किया जा रहा है, सभी आवश्यक उपाय व कदम उठायेंगे।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Rawat Singh मनोज देवी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193026

(2) न्यासधारी न्यास कोष को इस प्रकार रखेंगे जैसे कोई सामान्य बुद्धिवाला व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का रख रखव करता है।

(3) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऐसी धनराशि और सम्पत्तियों का स्वच्छ एवं सही लेखा–जोखा जो कि ट्रस्ट को प्राप्त हुयी हो अथवा न्यास कोष से व्यय की गयी हो, रखेगा तथा यह भी कि इस लेखे का पूर्णतः शुद्ध विवरण/सूचना भी रखेगा।

(4) यदि ऐसा संशय उत्पन्न हो जाये कि न्यास के लिए कोई धनराशि या सम्पत्ति न्यास का **Corpus** फण्ड बन सकती है या न्यास कोष की आय या अन्य कोई आय तथा न्यास कोष से हाने वाले व्यय या किये जाने वाले भुगतान न्यास कोष से किये जा सकते हैं अथवा नहीं तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ऐसे संशय पर/सम्बन्ध में निश्चयात्मक निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होगी।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये निश्चय को अन्तिम और बाध्य माना जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि उपरोक्त नियम में दी गयी कोई बात बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को न्यास कोष की धनराशि अथवा कोष की आय को न्यास के उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिये खर्च करने को अधिकृत नहीं करती है।

(5) काई भी न्यासधारी अपना पदभार अथवा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये किसी दूसरे न्यासधारी को या किसी अजनवी बाहरी व्यक्ति को अपनी शक्तियों या अधिकारों को हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक इस प्रकार का शक्ति और अधिकारों का हस्तांन्तरण आवश्यक न हो और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा अनुमोदित न किया गया हो।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Rashmana Singh मानती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193027

(6) यदि कोई न्यासधारी डाक्टर, इन्जीनियर, सालीसीटर, एडवोकेट या चार्टड एकाउन्टेन्ट हो या किसी अन्य व्यवसाय में हो तो ट्रस्ट की सेवा/कार्य के प्रतिफल स्वरूप उसकी फर्म को भुगतान लेने का अधिकार होगा।

8. **लेखा–जोखा एवं वित्तीय वर्ष:**

न्यास के द्वारा समस्त प्राप्तियों और भुगतान की गयी धनराशि का नियमित व उचित लेखा जोखा रखा जायेगा। न्यास का वित्तीय वर्ष अप्रैल की प्रथम तिथि से आगामी 31 मार्च तक प्रत्येक वर्ष होगा किन्तु प्रथम वित्तीय वर्ष न्यास कोष स्थापना की तिथि से आगामी 31 मार्च तक माना जायेगा और इसी अवधि की बैलेन्स शीट में ट्रस्ट की आय तथा व्ययों का लेखांकन किया जायेगा। न्यास का वित्तीय लेखा जोखा प्रत्येक वर्ष बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षित कराया जायेगा।

9. **न्यास अभिलेखों तथा वित्तीय अभिलेखों का संरक्षण:**

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा अधिकृत न्यास के सचिव द्वारा न्यास के समस्त अभिलेख, लेखा अभिलेख, न्यास के स्वमित्व की सम्पत्ति के दस्तावेज तथा न्यास के द्वारा किये गये पूँजी निवेश तथा इसी प्रकार के न्यास से सम्बन्धित अन्य अभिलेख/दस्तावेज रखे जायेंगे तथा सचिव इन सभी दस्तावेजों के संरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा।

10. **विविध प्रकीर्ण:**

10–1 यह न्यास भारत में धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों हेतु धार्मिक ट्रस्ट घोषित किया जाता है और न्यास अभिलेख के समस्त प्राविधानों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा। यदि किसी समय यह पाया जाये कि न्यास का कोई प्राविधान/नियम आयकर अधियिम के अन्तर्गत धार्मिक/परोपकारी उद्देश्य की परिधि से बाहर है तो एसे प्राविधान/नियम के सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि अमुक नियम/प्राविधान न्यास अभिलेख में अंकित उद्देश्य से लुप्त किया गया है।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh गोमती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193028

10–2 न्यास द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य/कार्यवाहियां भारत में भारतवासियों बिना किसी लाभ के उद्देश्य से जैसा कि आयकर अधिनियम में या अन्य किसी संशोधित नियम/परिनियम में उल्लेखित है, की जायेगी तथा न्यास कोष का उपभोग न्यास के उद्देश्यों के सम्बंध में ही किया जायेगा तथा न्यास कोष की धनराशि का आबंटन न्यासधारी के लाभ या हित या लाभांश के लिये नहीं किया जायेगा।

10–3 ऐसी कोई बात जो इस अभिलेख में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा सामान्य रूप से भारत में स्थापित धार्मिक ट्रस्टों द्वारा मान्य विधान तथा, प्रथा, परम्परा, प्रचलन मानते हुये अंगीकार की जा सकती है।

10–4 यह भी घोषित किया जाता है कि यह न्यास अविखण्डनीय (अटूट) है। यदि सभी न्यासधारियों की राय से किसी कारणवश न्यास विखंडित हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाये तो न्यास की समस्त चल/अचल सम्पत्तियां किसी ऐसे न्यास को स्थानान्तरित की जायेगी जिसके उद्देश्य एवं लक्ष्य समान हो तथा आयकर अधिनियम की धारा 11 एवं धारा 80जी0 के तहत ट्रस्ट की मान्यता हो। ऐसा स्थानान्तरण/हस्तान्तरण सभी न्यासधारियों की सहमति से किया जा सकेगा।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh जैमन्ती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AB 193011

10–5 न्यास के समस्त न्यासधारी और पदधारक न्यास की ऐसी धनराशि, स्टाक, निधि, धरोहर, प्रतिभूति या जमानत राशि या सम्पत्ति के प्रति उत्तरदायी, देनदार अथवा जबावदेह होंगे जो वास्तव में उनके द्वारा न्यासधारी के रूप में प्राप्त हुयी हों, चाहे प्राप्ति की पुष्टि के रूप में उनके द्वारा कोई रसीद हस्ताक्षरित न की गयी हो और यह भी कि न्यासधारी न्यास की सभी कार्यवाहियों, त्रुटियों, असावधानियों तथा अनाचरणों के प्रति भी उत्तरदायी, जबावदेह या देनदार होंगे किन्तु निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी या देनदार नहीं होगे–

(a) न्यासधारी पारस्परिक रूप से एक दूसरे के प्रति या किसी बैंकर या नीलामकर्ता या ऐसा व्यक्ति जिसके पास या जिसके द्वारा न्यास कोष की धरोहर हो

(b) ....

(c) न्यास कोष में समाहित धनराशि, स्याक, धरोहर एवं अन्य सम्पत्ति की हानि के लिये

(d) न्यास कोष में समाहित किसी धनराशि, धरोहर, स्टाक या निधि या सम्पत्ति के स्वामित्व की अपूर्णता या कमी के लिये

(e) अन्य किसी हानि के लिये बशर्ते कि ऐसी हानि उनके असावधानी पूर्वक कार्य किये जाने के फलस्वरूप न हुयी हो अथवा उनके द्वारा युक्तयुकत सावधानी अथवा बुद्धिमता से जैसे कि वह अपनी सम्पत्ति या निवेश के सम्बन्ध में प्रयोग करता, न किये जाने के कारण हुयी हो

श्रीमन्तीदेवी

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 98AB 193048

हम पक्षकार सुरेन्द्र सिंह की पहचान निर्वाचन आयोग के पहचान-पत्र स0 यू.पी. 04/056/240606 से व सन्दीप सिंह की पहचान निर्वाचन आयोग के पहचान-पत्र स0 यू.पी. 04/056/240756 से व प्रियंका चौधरी की पहचान पहचान-पत्र स0 यू.पी.एन. 0241729 से व रविन्द्र सिंह की पहचान निर्वाचन आयोग के - पहचान-पत्र सं0 यू.पी. 04/056/240608 से जयन्ती देवी की पहचान निर्वाचन आयोग के पहचान-पत्र स0 डब्लू.वाई.एच. 0369231 से सुनिश्चित करते है ।

सुरेन्द्र सिंह सन्दीप सिंह Priyanka Ravindra Singh जयन्ती देवी

दिनांक - 19-8-13

गवाह नं0 (1) रितु चौधरी पत्नी अमित कुमार
नि0 शाकरस, तह0 बहेडी जिला बरेली । Ritu chaudhary

गवाह नं0 (2) मोनिका चौधरी पत्नी नजवीर सिंह
नि0 शाकरस, तह0 बहेडी जिला बरेली । Monika singh

ड्राफ्ट वाई - रामेन्द्र सिंह एड0 तहसील कोर्ट बहेडी। [signature] 19-8-13
टाइप वाई - मुनब्बर अली । ADVOCATE

8153

8123

19-8-13

OFFICE SANERI DISTRICT

आज दिनांक 19/08/2013

प्रति पुस्तक सं० IV खण्ड 10 की

के पृष्ठ 317/380 पर क्रम सं० 40

पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

25/11/22

INDIA NON JUDICIAL

131/1422

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP60568815339070U
Certificate Issued Date	:	25-Nov-2022 10:58 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14292204/ BEHEDI/ UP-BLY
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1429220414165738757519U
Purchased by	:	PRIYANKA CHAUDHARY WIFE OF SANDEEP SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PRIYANKA CHAUDHARY WIFE OF SANDEEP SINGH
Second Party	:	SANDEEP SINGH SON OF SURENDRA SINGH AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	:	PRIYANKA CHAUDHARY WIFE OF SANDEEP SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

LOCKED

उप निबन्धक
बहेड़ी, बरेली

Please write or type below this line

Sandeep Singh Priyanka Rashmara Singh

PU 0003384552

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

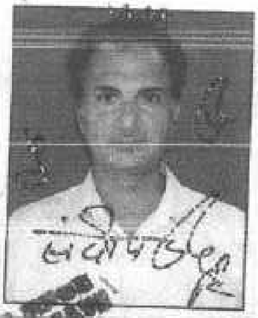 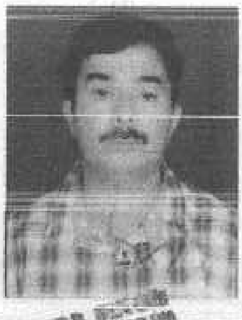

न्यास पत्र

मूल न्यास पत्र दिनांक 19/08/2013 को उपनिवन्धक बहेडी जनपद बरेली के कार्यालय में प्रति पुस्तक सं0 4 खण्ड 10 के पृष्ठ सं0 317/380 संख्या 40 पर पंजीकृत है।

यह पूरक न्यास पत्र दिनांक 23/11/2022 को निष्पादित किया।

हम कि 1. संदीप सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेडी जिला बरेली सचिव।

2. प्रियंका चौधरी पत्नी संदीप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेडी जिला बरेली कोषाध्यक्ष।

3. रविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेडी जिला बरेली सदस्य।

4. जयन्ती देवी पत्नी बलवीर सिंह निवासी ग्राम शरीफ नगर तहसील बहेडी जिला बरेली सदस्य।

यह कि सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम शकरस तहसील बहेडी जिला बरेली (अध्यक्ष) की मृत्यु हो चुकी है तथा जयन्ती देवी पत्नी बलवीर सिंह निवासी ग्राम शरीफनगर तहसील बहेडी जिला बरेली (सदस्य) इस समय वृद्ध व कमजोर है कार्य करने मे असमर्थ है।

श्रीराम स्वरूप सिंह स्मारक शिक्षण संस्थान शकरस तहसील बहेडी जिला बरेली ट्रस्ट के सदस्यो की सूची इस प्रकार रहेगी।

Sandeep Singh Priyanka Ravindra Singh. जयन्तीदेवी

आवेदन सं०: 202200784015165

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 131 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री संदीप सिंह, पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह

निवासी: ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली

व्यवसाय: कृषि Sandeep Singh

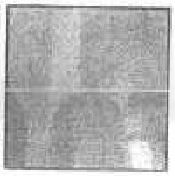

न्यासी: 2

श्रीमती प्रियंका चौधरी, पत्नी श्री संदीप सिंह

निवासी: ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली

व्यवसाय: गृहिणी Priyanka

न्यासी: 3

श्री रविन्द्र सिंह, पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह

निवासी: ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली

व्यवसाय: कृषि Ravindra Singh

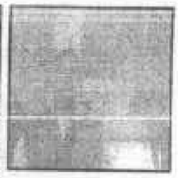

न्यासी: 4

श्रीमती जयन्ती देवी, पत्नी श्री बलवीर सिंह

निवासी: ग्राम शरीफनगर तहसील बहेड़ी जिला बरेली

व्यवसाय: गृहिणी

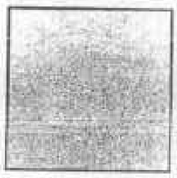
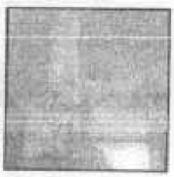

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अंकुर चौधरी , पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह

निवासी: ग्राम रूपपुर तहसील बहेड़ी जिला बरेली

व्यवसाय: कृषि

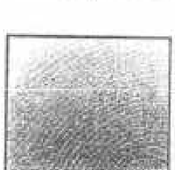
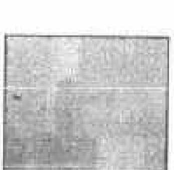

पहचानकर्ता : 2

श्री सुरेश वीर सिंह , पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह

निवासी: ग्राम शकरस तहसील बहेड़ी जिला बरेली

व्यवसाय: कृषि

1. यह कि न्यास मे अधिक से अधिक से 25 सदस्य बनाये जा सकते है।

2. यह कि न्यासियों द्वारा ऋण सरकारी या अर्ध सरकारी बैंक आदि से लिया जा सकता है जिसके अदा करने की जिम्मेदारियां सभी न्यासियों (ट्रस्टी) की होगी।

3. यह मूल न्यास पत्र दिनांक 19/08/2013 को उपनिवन्धक बहेडी जनपद बरेली के कार्यालय में प्रति पुस्तक सं0 4 खण्ड 10 के पृष्ठ सं0 317/380 संख्या 40 पर पंजीकृत किया गया।

अन्य नियम व शर्ते मूल न्यास पत्र दिनांक 19/08/2013 के अनुसार रहेगी।

Sarndeep Singh Priyanka Ravindra Singh

हम पक्षकार :–

प्रियंका चौधरी की पहचान आधार सं0 XXXX XXXX 0574 से व संदीप सिंह की पहचान आधार सं0 XXXX XXXX 0271 से व जयन्ती देवी की पहचान आधार सं0 XXXX XXXX 5838 से व रविन्द्र सिंह की पहचान आधार सं0 XXXX XXXX 4046 से की है

मुख्य न्यास अवस्थापक 11,000/– रूपया स्टाम्प शुल्क 800 रूपया का अदा किया गया है।

Sandeep Singh Priyanka Ravinder Singh

आवेदन सं0 202200784015165

Sandeep Singh Priyanka Ravindra singh

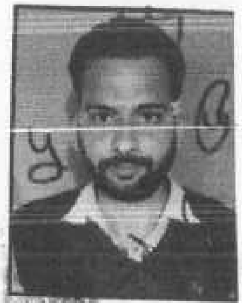

गवाहः– अंकुर चौधरी पुत्र देवेन्द्र सिंह
नि0 ग्राम रूपपुर तहसील बहेडी
जिला बरेली
आधार सं0– XXXX XXXX 6149

गवाहः– सुरेश वीर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह
नि0 ग्राम शकरस तहसील बहेडी
जिला बरेली
आधार सं0– XXXX XXXX 6457

दिनांक– 23.11.2022
टाईपकर्ता:– प्रेमपाल सिंह पाली
प्रारूप कर्ता:– रामेन्द्र सिंह राठी एडवोकेट

R.Singh
23-11-2022

आवेदन सं०: 202200784015165

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 28 के पृष्ठ 317 से 328 तक क्रमांक 131 पर दिनाँक 25/11/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनामिका सिंह .

उप निबंधक : बहेड़ी

बरेली

25/11/2022